हिन्दुस्तान 15
नई दिल्ली • गुरुवार • 15 दिसंबर 2016

राज्यसभा में दिव्यांगों के अधिकार से जुड़ा विधेयक ध्वनिमत से पारित, दो दिनों के भीतर लोकसभा में भी पास कराने की तैयारी

दिव्यांगों के मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष एक

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

नोटबंदी के कारण जहां संसद का पूरा शीत सत्र करीब-करीब हंगामे की भेंट चढ़ गया है, वहीं बुधवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया गया। इस विधेयक के जरिये दिव्यांगता के दायरे को व्यापक बनाया गया है। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की सीमा को भी मौजूदा तीन फीसदी से बढ़ाकर चार फीसदी किया गया है।

अगले दो दिनों में इसे लोकसभा में भी पारित करने के प्रयास होंगे। राज्यसभा में बुधवार को कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष की तरफ से विकलांगों के अधिकारों से जुड़े विधेयक को बिना चर्चा के पारित करने की मांग की गई। बसपा के सतीश मिश्रा, मायावती, माकपा के सीताराम येचुरी ने यह मांग रखी। प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आज ही इस विधेयक को पारित करना चाहिए ताकि लोकसभा में भी इसी सत्र में पारित किया जा सके। सरकार इस पर तुरंत तैयार हो गई। दोपहर बाद विधेयक को पारित कर दिया गया।

संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने सरकार की तरफ से 120 संशोधन पेश किए जिन्हें मंजूर कर लिया गया। जबकि विपक्ष के सभी संशोधन खारिज कर दिए गए।

नई दिल्ली में बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। • प्रेट्र

करीब तीन साल से लंबित

यह विधेयक राज्यसभा में 7 फरवरी 2014 को पेश हुआ था। विधेयक को स्थाई समिति को भेजा गया था और स्थाई समिति की 82 में से 59 सिफारिशों को स्वीकार किया गया।

14 नई श्रेणियां

विधेयक में दिव्यांगता का दायरा व्यापक बनाते हुए इसमें 14 अन्य किस्मों को दिव्यांगता के दायरे में लाया गया है। इनमें तेजाब हमले के पीड़ित, बोलने एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता, बौनापन, क्षतिग्रस्त मांसपेसियों वालों, तीन रक्त विकारों हेमोफीलिया, थैलीसीमिया तथा सिकल सेल रोग के पीड़ितों को भी दिव्यांग माना गया है।

सुविधा

अभी दिव्यांगों को नौकरियों में तीन फीसदी आरक्षण मिलता है। जिसमें एक फीसदी नेत्रहीनों, एक फीसदी शारीरिक अपंगों तथा एक फीसदी सुनने एवं बोलने में असमर्थ लोगों को दिया जाता है। लेकिन अब राज्यसभा में दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ा विधेयक पारित होने के बाद अन्य श्रेणियों के दिव्यांगों के लिए भी एक फीसदी आरक्षण का प्रावधान सरकारी नौकरियों में होगा।

ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड की आबादी के बराबर देश में दिव्यांगों की संख्या

2011 की जनगणना के अनुसार देश में दिव्यांगों की आबादी 2.68 करोड़ थी। जो ऑस्ट्रेलिया व फिनलैंड की कुल आबादी के बराबर है। 2011 में आठ श्रेणियां ही दिव्यांगता के दायरे में थी। हालांकि नए कानून में 21 श्रेणियों को दिव्यांग माना जा रहा है। यानी वास्तविक आबादी और ज्यादा होगी।

किस्म	संख्या
दृष्टिहीन	5032463
बहरापन	5071007
मूक	1998535
चलने में लाचार	5436604
मानसिक अक्षमता	1505624
मानसिक रोगी	722826
अन्य	4927011
बहु विकलांगता	2116487

गांवों में ज्यादा संख्या

शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग ज्यादा हैं। आंकड़ों के अनुसार गांवों में 1.86 करोड़ व शहरों में 81 लाख दिव्यांग रहते हैं। कुल दिव्यांगों में 1.49 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं।

दिव्यांगता के दायरे में

नेत्रहीन, कमजोर दृष्टिवाले, गूंगे एवं बहरे, शारीरिक रूप से अपंग, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मंदबुद्धि, सेरेब्रल पाल्सी, क्षतिग्रस्त मांसपेसियों वाले, गंभीर स्नायु विकार।

क्या है मानदंड

इंडियन डिसएबिलिएटी एवेल्युशन एंड एस्समेंट स्केल से चार पैरामीटरों के आधार पर मानसिक रोगियों का आकलन होता है। रोगी की अपनी निजी देखभाल की क्षमता, कामकाज, दूसरों से संबंध और कम्युनिकेशन स्किल को परखा जाता है। पैरामीटर में 40% की कमी है तो वह दिव्यांग घोषित होता है।

सरकार ने दी सहूलियतें

- दिव्यांग बच्चों को छह से 18 साल तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- सुगम्य भारत अभियान के तहत सार्वजनिक भवन दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा।
- दिव्यांगों को जिला अदातल द्वारा संरक्षण देने का प्रावधान, जिससे दिव्यांग एवं संरक्षक अदालत द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिए जा सकेंगे।

अन्य प्रमुख प्रावधान

- दिव्यांग बच्चों को छह से 18 साल तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- सुगम्य भारत अभियान के तहत सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा।
- दिव्यांगों को जिला अदातल द्वारा संरक्षण देने का प्रावधान, जिससे दिव्यांग एवं संरक्षक अदालत द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिए जा सकेंगे।
- केंद्र एवं राज्य दिव्यांगों के कल्याण के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन करेंगे।
- केंद्र एवं राज्यों को दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयों को सुदृढ़ीकरण होगा।